


25/07/22

पडावली काउन्सिल डुग्डी अमील
शास्त्रीगण उपस्थितता अहकाम डुग्डी
गठनी कोडका कलक के लिकान
जाकर डुग्डी न्यायालय डुग्डी
गला पडावली विधि डुग्डी
देकर डारिजिन डफलर हौ


उपस्थित अधिकारी, गुडामालानी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालाना (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 109/2021

प्रार्थीगण

1. डूगराराम पुत्र चोलाराम
 2. लालाराम पुत्र चोलाराम
- जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
तरमीम दुरुस्त करने

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 05/07/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरुस्ती विप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का का पुश्तैनी खेत ग्राम राणासर खुर्द में खसरा नम्बर 28 रकबा 13-16 बीघा का आया हुआ जिसके पश्चिम सेढे पर रास्ता आया है, प्रार्थीगण के खेत के पश्चिम सेढे का रकबा 19 बिस्वा इस रास्ता के अधीन है। पश्चिम दिशा में यह रास्ता उपलब्ध होते हुए प्रार्थीगण की आपत्ति के बावजूद सर्वेकर्ताओं ने प्रार्थीगण के उक्त खेत के बीच से नया रास्ता कायम कर दिया, जिससे प्रार्थीगण के खेत के पश्चिम दिशा की माठ का रास्ता नकारा हो गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 13-16 बीघा की पश्चिम माठ का समपर्शी तरमीम गेर मुमकिन रास्ता जिसको सड़क निर्माण स्थान पर खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 13-16 बीघा के मध्य सड़क निर्माण स्थान पर तरमीम की जाकर रेकर्ड दुरुस्ती करने हेतु उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 06 दिनांक 15.12.2021 प्रस्तुत अवगत कराया कि ग्राम राणासर खुर्द का खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 13-16 बीघा का प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 28 में बाड़मेर से गुड़ामालानी